न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 71 / 2017

प्रार्थीः–

1. हरीराम पुत्र स्वर्गीय जीताराम जी जाति सांसी, उम्र 71 वर्ष, निवासी सांसी बस्ती नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. अजय पुत्र श्री स्वर्गीय किशोर जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सासी बस्ती नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली(राज.)
2. सनी पुत्र स्वर्गीय किशोर जी जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी बस स्टेण्ट के पीछे सांसी बस्ती पुस्तकालय के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)
3. श्रीमति मधु पत्नि श्री अशोक जी पुत्री स्वीर्गीय किशोर जी जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सासी बस्ती भदासीया जोधपुर (राज.)
4. श्रीमति ज्योति पत्नि नरेश जी पुत्री स्वर्गीय किशोर जी जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी कुम्हारी दरवाजा, नागौर (राज.)
5. श्रीमति रूकमा पत्नि स्वर्गीय किशोर जी जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी बस स्टेण्ट के पीछे सांसी बस्ती जिला पुस्तकालय के पास, बिलाडा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)
6. श्यामु पुत्र स्वर्गीय रावतराम जी, जाति सांसी, उम्र बालिग निवासी बस स्टेण्ट के पीछे सांसी बस्ती जिला पुस्तकालय के पास, बिलाडा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)
7. नाथुराम पुत्र स्वर्गीय रावतराम जी, जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सांसी बस्ती नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
8. श्रीमति नोसरी पत्नि कांतिलाल जी पुत्र स्वर्गीय रावतराम जी, जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सांसी बस्ती नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
9. शारदा पुत्री स्वर्गीय रावतराम जी, जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सांसी बस्ती नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
10. कौशल्या पत्नि श्यामु पुत्री स्वर्गीय रावतराम जी, जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सांसी बस्ती नयागांव, पाली

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

तहसील व जिला पाली (राज.)

11. सुशीला पत्नि सुरजाराम जी पुत्री स्वर्गीय रावतराम जी , जाति सांसी, उम्र बालिग, निवासी सांसी बस्ती नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

12. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गोपाल चौहान, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.</u>

–:आदेशः– दिनांक 28.02.2020

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव पाली द्वितीय, पटवार हल्का पाली द्वितीय, भू–अभिलेख क्षेत्र पाली तहसील व जिला पाली मे खसरा नम्बर 548 क्षेत्रफल 99 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि स्थित है जिसे आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा। जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 की प्रमाणित की फोटोप्रति साथ पेश की है। इस वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जीताराम जी का 1/10 हिस्सा करीब 10 बीघा थां जमाबंदी में जीताराम जी का नाम जोता पुत्र लाला दर्ज था जो जीताराम व जोता एक ही व्यक्ति है। जिसकी प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति साथ पेश है। जीताराम जी के दो पुत्र थे प्रार्थी हरीराम और अप्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय रावतराम जी। अप्रार्थीगण के पूर्वज रावतराम का स्वर्गवास जीताराम जी के जीवनकाल मे ही जीताराम जी के स्वर्गवास के पहले हो चुका है। वादग्रस्त भूमि मे जो जीताराम जी का 1/10 हिस्सा करीब 10 बीघा था उस सम्पूर्ण भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव मे आने के पहले से और प्रभाव मे आने के समय से ही प्रार्थी का ही कब्जा काश्त था। जीताराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वज किशोर ने और अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने स्वयं की और से और अप्रार्थी संख्या 8,9,10 व 11 की और से प्रार्थी के पक्ष मे एक दस्तावेज दिनांक 05.10.1996 को निष्पादित किया था और रावतराम जी का जो हिस्सा इस वादग्रस्त भूमि मे करिब 5 बीघा बनता था उसके प्रतिफल की राशि 50,000/– रूपये रोकड़ प्रार्थी से प्राप्त की थी रावतराम जी का हिस्सा प्रार्थी का ही होना स्वीकार किया था प्रार्थी को देना स्वीकार किया था। उस लिखत को लिख जाने की जानकारी सभी अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.1996 के समय से ही थी और उक्त राशि सभी अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से अनुसार आपस मे बांट ली थी। उस समय भी जीताराम जी का जो वादग्रस्त भूमि मे 1/10 हिस्सा था। उस सम्पूर्ण हिस्से पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त था और यह कब्जा काश्त प्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव मे आने के समय और उसके पूर्व से लगातार चला आ रहा था और आज भी लगातार बिना किसी रोकटोक के बिना किसी बाधा के एकमात्र अपने आपको खातेदार कब्जा काश्त मालिक बताते हुए चला आ रहा है। यह तथ्य प्रारम्भ से ही सभी अप्रार्थीगण की जानकारी में है। उक्त लिखित की

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

फोटोप्रति साथ पेश है। कालान्तर मे जीताराम जी का स्वर्गवास होने पर अप्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवा दिया परन्तु मौके पर कब्जा कभी भी अप्रार्थीगण का नही था न रहा और न आज है। राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण द्वारा अपना नाम दर्ज करवाने के वक्त भी और उसके बाद भी वादग्रस्त भूमि मे जो जीताराम जी का 1/10 हिस्सा है उस सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा काश्त प्रार्थी का ही था प्रार्थी का ही रहा और आज दिन तक लगातार प्रार्थी का ही चला आ रहा है। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे जीताराम जी का जो 1/10 हिस्सा था उसके आधे हिस्से में प्रार्थी का एवं आधे हिस्से में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से राजस्व रेकर्ड में उनके नाम के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने हेतु और उस हेतु आवश्यक होने वाला दस्तावेज निष्पादित करवाने हेतु अनेकानेक बार निवेदन किया तो अप्रार्थीगण हमेशा यही कहते रहे कि चूंकि जीताराम जी का सम्पूर्ण हिस्से पर आपका ही कब्जा काश्त है हमारा और रावतराम जी का और किशोर का कभी कब्जा रहा ही नही है और सारी दुनिया जानती है कि आप ही सम्पूर्ण 1/10 हिस्से के मालिक काबिज काश्तकार, खातेदार हो इसलिए कोई अलग से दस्तावेज निष्पादित करने और कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है इमने कभी भी कोई एतराज नही किया और न कभी भी एतराज करेंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के पहले और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के समय से ही वादग्रस्त भूमि मे जीताराम जी का जो 1/10 हिस्सा करीब 10 बीघा है उस सम्पूर्ण हिस्से पर प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के 1/10 हिस्से 10 बीघा का खातेदार काश्तकार हो चुका है और प्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है और आज भी प्रार्थी का कब्जा काश्त बदस्तुर कायम है और राजस्व रेकर्ड मे जीताराम जी के 1/10 हिस्से करीब 10 बीघा के आधे हिस्से 5 बीघा मे प्रार्थी का बतौर खातेदार नाम दर्ज है और शेष 1/10 के आधे हिस्से 5 बीघा मे अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम दर्ज है। इन परिस्थितियों मे प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का जो हिस्सा करीब 5 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उसकी खातेदारी की घोषणा अपने नाम प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण इस वादग्रस्त भूमि मे राजस्व रेकर्ड में उनका जो नाम दर्ज है उस आधार पर वह भूमि किसी अन्जान व्यक्ति को दिखाने के लिये लाये थे तब प्रार्थी ने उनसे पुछा कि इस व्यक्ति को यहां क्यो लाये थे तब अप्रार्थीगण ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में उनका नाम है इसलिये इस आधार पर वे अपना हिस्सा इस अन्जान व्यक्ति को बेचाण करेंगे तब प्रार्थी ने उन्हें उपर उल्लेखित लिखत बाबत और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने से पूर्व से और प्रभाव मे आने के पहले से लगातार प्रार्थी का कब्जा काश्त होने और पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा कही गई बाते बताने पर भी उन्होने कहा कि वे राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज है उस आधार पर भूमि अन्जान व्यक्ति को बेचाण करेंगे। जिसका कि अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को कोई अधिकार नहीं हैं इन परिस्थितियों में प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई विकल्प नही होने से प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 12 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया गया है जिसको अलग से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में राजस्व रेकर्ड में जो अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम दर्ज है और उनका जो हिस्सा करीब 5 बीघा दर्ज है उसका खातेदार घोषित होने का अधिकारी है और उपर दर्ज आधारो पर प्रार्थी को खातेदार घोषित किये जाने और खातेदारी की घोषणा किया जाना

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

न्यायहित मे आवश्यक है। इस हेतू वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि मे जीताराम जी के सम्पूर्ण 1/10 हिस्से पर और राजस्व रेकर्ड मे जो अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम दर्ज है उनके हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिसे किसी अन्य को बेचाण हस्तान्तरण करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को कोई अधिकार नहीं है और इस भूमि को बेचाण हस्तान्तरण करने से, प्रार्थी के कब्जा काश्त मे उपयोग उपभोग मे दखलअंदाजी करने से अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाना न्यायहित में आवश्यक हैं उस हेतु यह प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावे प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरूद्ध इस आशय एवं प्रभाव की अस्थाई निषेधाज्ञ पारित फरमावे कि वादग्रस्त भूमि मे जीताराम जी सम्पूर्ण 1/10 हिस्से पर और राजस्व रेकर्ड मे जो अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम दर्ज है उनके हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिसे किसी अन्य को बेचाण हस्तान्तरण करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को कोई अधिकार नहीं है इस कारण इस भूमि को बेचाण हस्तान्तरण करने से, प्रार्थी के कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करने से अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे एवं उन्हें पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्यागण संख्या 1 से 8 व 10 व 11 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक उक्त भुमि बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है जो दिनांक 5.10.1996 को बेचाण इकरारनामा बताया गया है वह फर्जी व कुटरचित है तथा इस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है तथा बेचाण इकरार को देखन मात्र से ही पता चल जाता है कि दोनो पेज की टाईप भी भिन्न पेज है जिससे भी स्पष्ट है कि उपरोक्त लिखापढी फर्जी की गई है तथा कागज मे हेराफरी कर फर्जी व कुटरचित इकरारनामा तैयार किया है। इस पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान भी फर्जी है तथा कब्जा काश्त आज भी अप्रार्थीगण का ही हैं। तथाकथित फर्जी व कुटरचित जो दस्तावेज प्रार्थी द्वारा तैयार किया गया। उस समय अप्रार्थी संख्या 6 की उम्र 18 वर्ष से कम थी तथा वो नाबालिग था तथा प्रार्थी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा सरकारी अध्यापक था। इस कारण भी प्रार्थी के कथन गलत व झूठे होने प्रमाणित हो जिससे भी प्रार्थी का वाद खारीज करने योग्य है। प्रार्थी ने म्याद बाहर वाद पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष मे व प्रार्थी के विरूद्ध है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि पाली द्वितीय मे खसरा नम्बर 548 क्षैत्रफल 99 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि स्थित है भूमि में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जीताराम जी का 1/10 हिस्सा करीब 10 बीघा थां जमाबंदी में जीताराम जी का नाम जोता पुत्र लाला दर्ज था जो जीताराम व जोता एक ही व्यक्ति है। जीताराम जी के दो पुत्र थे प्रार्थी हरीराम

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

और अप्रार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय रावतराम जी। अप्रार्थीगण के पूर्वज रावतराम का स्वर्गवास जीताराम जी के जीवनकाल मे ही जीताराम जी के स्वर्गवास के पहले हो चुका है। वादग्रस्त भूमि मे जो जीताराम जी का 1/10 हिस्सा करीब 10 बीघा था। जीताराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वज किशोर ने और अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने स्वयं की और से और अप्रार्थी संख्या 8,9,10 व 11 की और से प्रार्थी के पक्ष मे एक दस्तावेज दिनांक 05.10.1996 को निष्पादित किया था और रावतराम जी का जो हिस्सा इस वादग्रस्त भूमि मे करिब 5 बीघा बनता था उसके प्रतिफल की राशि 50,000/– रूपये रोकड़ प्रार्थी से प्राप्त की थी। रावतराम जी का हिस्सा प्रार्थी का ही होना स्वीकार किया था प्रार्थी को देना स्वीकार किया था। उस लिखत को लिख जाने की जानकारी सभी अप्रार्थीगण को दिनांक 05.10.1996 के समय से ही थी और उक्त राशि सभी अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से अनुसार आपस मे बांट ली थी। उस समय भी जीताराम जी का जो वादग्रस्त भूमि मे 1/10 हिस्सा था। उस सम्पूर्ण हिस्से पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त था और यह कब्जा काश्त प्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव मे आने के समय और उसके पूर्व से लगातार चला आ रहा था और आज भी लगातार बिना किसी रोकटोक के बिना किसी बाधा के एकमात्र अपने आपको खातेदार कब्जा काश्त मालिक बताते हुए चला आ रहा है। जीताराम जी का स्वर्गवास होने पर अप्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवा दिया परन्तु मौके पर कब्जा कभी भी अप्रार्थीगण का नही था न रहा और न आज है। राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण द्वारा अपना नाम दर्ज करवाने के वक्त भी और उसके बाद भी वादग्रस्त भूमि मे जो जीताराम जी का 1/10 हिस्सा है उस सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा काश्त प्रार्थी का ही था प्रार्थी का ही रहा और आज दिन तक लगातार प्रार्थी का ही चला आ रहा है। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे जीताराम जी का जो 1/10 हिस्सा था उसके आधे हिस्से में प्रार्थी का एवं आधे हिस्से में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से राजस्व रेकर्ड में उनके नाम के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने हेतु और उस हेतु आवश्यक होने वाला दस्तावेज निष्पादित करवाने हेतु अनेकानेक बार निवेदन किया तो अप्रार्थीगण हमेशा यही कहते रहे कि चूंकि जीताराम जी का सम्पूर्ण हिस्से पर आपका ही कब्जा काश्त है हमारा और रावतराम जी का और किशोर का कभी कब्जा रहा ही नही है और सारी दुनिया जानती है कि आप ही सम्पूर्ण 1/10 हिस्से के मालिक काबिज काश्तकार, खातेदार हो इसलिए कोई अलग से दस्तावेज निष्पादित करने और कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है इमने कभी भी कोई एतराज नही किया और न कभी भी एतराज करेंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के पहले और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के समय से ही वादग्रस्त भूमि मे जीताराम जी का जो 1/10 हिस्सा करीब 10 बीघा है उस सम्पूर्ण हिस्से पर प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के 1/10 हिस्से 10 बीघा का खातेदार काश्तकार हो चुका है और प्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है और आज भी प्रार्थी का कब्जा काश्त बदस्तुर कायम है और राजस्व रेकर्ड मे जीताराम जी के 1/10 हिस्से करीब 10 बीघा के आधे हिस्से 5 बीघा मे प्रार्थी का बतौर खातेदार नाम दर्ज है और शेष 1/10 के आधे हिस्से 5 बीघा मे अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम दर्ज है। इन परिस्थितियों मे प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का जो हिस्सा करीब 5 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उसकी खातेदारी की घोषणा अपने नाम प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण इस वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

भूमि मे राजस्व रेकर्ड में उनका जो नाम दर्ज है उस आधार पर वह भूमि किसी अन्जान व्यक्ति को दिखाने के लिये लाये थे तब प्रार्थी ने उनसे पुछा कि इस व्यक्ति को यहां क्यो लाये थे तब प्रार्थी ने उनसे पुछा कि इस व्यक्ति को यहां क्यो लाये हो तब अप्रार्थीगण ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में उनका नाम है इसलिये इस आधार पर वे अपना हिस्सा इस अन्जान व्यक्ति को बेचाण करेंगे तब प्रार्थी ने उन्हें उपर उल्लेखित लिखत बाबत और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने से पूर्व से और प्रभाव मे आने के पहले से लगातार प्रार्थी का कब्जा काश्त होने और पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा कही गई बाते बताने पर भी उन्होने कहा कि वे राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज है। प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरूद्ध इस आशय एवं प्रभाव की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि वादग्रस्त भूमि मे जीताराम जी सम्पूर्ण 1/10 हिस्से पर और राजस्व रेकर्ड मे जो अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम दर्ज है उनके हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिसे किसी अन्य को बेचाण हस्तान्तरण करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को कोई अधिकार नहीं है इस कारण इस भूमि को बेचाण हस्तान्तरण करने से, प्रार्थी के कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करने से अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे एवं उन्हें पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पेश किया है जो योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक उक्त भुमि बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है जो दिनांक 5.10.1996 को बेचाण इकरारनामा बताया गया है वह फर्जी व कुटरचित है तथा इस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है तथा बेचाण इकरार को दखने मात्र से ही पता चल जाता है कि दोनो पेज की टाईप भी भिन्न पेज है जिससे भी स्पष्ट है कि उपरोक्त लिखापढी फर्जी की गई है तथा कागज मे हेराफेरी कर फर्जी व कुटरचित इकरारनामा तैयार किया है। इस पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान भी फर्जी है तथा कब्जा काश्त आज भी अप्रार्थीगण का ही हैं। तथाकथित फर्जी व कुटरचित जो दस्तावेज प्रार्थी द्वारा तैयार किया गया। उस समय अप्रार्थी संख्या 6 की उम्र 18 वर्ष से कम थी तथा वो नाबालिग था तथा प्रार्थी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा सरकारी अध्यापक था। इस कारण भी प्रार्थी के कथन गलत व झूठे होने प्रमाणित हो। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष मे व प्रार्थी के विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये स्थगन आदेश हेतु तीन तत्व प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि होने के स्थिति मे दिया जा सकता है। उक्त तीनो ही तत्व प्रार्थी के विरूद्ध है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार बनता है अथवा नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में बाद ट्रायल ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।

Rahi

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नथी की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 17:33:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: